रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 1985/वैशाख 5, 1907
No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 1985/VAISAKHA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1985

आदेश

का. आ. 361(अ) —केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (च) के अधीन, उसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्मों के किसी एक चारे की बाबत आदेश करने की शक्ति का प्रयोग, उस राज्य में राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा भी किया जाएगा ।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर 31 जुलाई, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. सूखी घास तथा घास
2. ग्वार—इसके समस्त व्युत्पादन सहित, परन्तु ग्वार गम (जो चारा नहीं है) के सिवाय ।
3. ज्वार, मक्का तथा बाजरे की करब या करबी
4. मोठ, मोठ चारा तथा मोठ चूरी
5. बाबल की भूसी
6. खाखला
7. चने की चूरी
8. गेहूं चापड़
9. चने का छिलका

[सं. 32-2/85-एल.डी.-2]

बी. एस. सराव, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Deptt. of Agri. & Cooperation)

New Delhi, the 24th April, 1985

ORDER

S.O. 361(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Rajasthan in that State.

This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st July, 1985.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

1. Hay and grass
2. Gowar including all its derivatives but excluding Gowar gum which is not fodder.
3. Karab or karbi of Jowar, Maize and Bajra.
4. Moth, Moth-chara and Moth-churi.
5. Rice Husk.
6. Khakhala.
7. Gram churi.
8. Wheat chapped.
9. Gram Chhilka.

[F. No. 32-2|85-LD.II]

B. S. SARAO, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985